

सूचनाओं की पुष्टि का परिणाम और मनाही खत

बच्चे (बच्चों) का नाम: _____

स्कूल: _____ तिथि: _____

पूज्य _____ :

हमने आपके बच्चे की पात्रता की पुष्टि खत्म कर ली है। _____ से लेकर आपके बच्चे (बच्चों) की भोजन पाने के कार्यक्रम में निम्न पात्रता होगी:

_____ मुफ्त से कम दाम में परिवर्तित क्योंकि आपकी आमदनी अनुज्ञेय आमदनी से अधिक है। कम दाम पर दोपहर का खाना _____ सेन्ट पर मिलेगा, और सुबह का नाश्ता _____ सेन्ट पर मिलेगा। अगर आपकी मासिक पारिवारिक आमदनी \$50 (\$600 वार्षिक) से बढ़ गई या अगर आपके परिवार की संख्या घट गई, तो स्कूल को सूचित करना आवश्यक है।

_____ फलाने वजह से बंद कर दी गई:

_____ मुफ्त या कम दाम पर भोजन मिलने के लिए आपकी आमदनी अनुज्ञेय आमदनी से अधिक है;

_____ आपने सामयिक योग्यता का सबूत नहीं दिया। निम्न सूचना अधूरी रह गई:

_____ हमारे अभिलेखों के अनुसार आपको इस वक्त फूड स्टैम्प/TANF नहीं मिल रहा है।

आज से ही भोजन पाने के कार्यक्रम में आपके बच्चे (बच्चों) की निम्न पात्रता होगी:

_____ कम दाम से मुफ्त में परिवर्तित क्योंकि आपकी आमदनी अनुज्ञेय आमदनी सीमाओं के अंतर्गत है। आपके बच्चे (बच्चों) को मुफ्त में भोजन मिलेगा। अगर आपकी मासिक पारिवारिक आमदनी \$50 (\$600 वार्षिक) से बढ़ गई या अगर आपके परिवार की संख्या घट गई, तो स्कूल को सूचित करना आवश्यक है।

अगर आपको इस वक्त इस लाभ के लिए मना कर दिया गया, पर आगे चलकर आपकी आमदनी घट गई, या आप बेरोज़गार हो गए, या आपके परिवार की संख्या बढ़ गई, तो आप उस समय फिर से यह लाभ पाने के लिए फार्म भर सकते हैं।

अगर आप इस निर्णय से सहमत नहीं हैं, तो आप निम्न से इस बारे में बात-चीत कर सकते हैं _____ है। आपको न्यायसंगत सुनवाई माँगने का अधिकार है। अगर आप _____ तक सुनवाई का निवेदन कर लेते हैं, तो सुनवाई अधिकारी का निर्णय मिलने तक आपके बच्चे (बच्चों) को मुफ्त या कम दाम पर भोजन मिलता रहेगा। न्यायसंगत सुनवाई का निवेदन करने के लिए आप निम्न अधिकारी से फ़ोन या खत द्वारा सम्पर्क कर सकते हैं:

नाम: _____

पता: _____

टेलिफ़ोन नम्बर: _____

आपका,

अमरीकी कृषि विभाग (USDA-यू.एस.डी.ए) के अनुसार, विभाग के किसी भी कार्यक्रम या क्रिया में जाति, रंग, राष्ट्रीय उत्पत्ति, लिंग, उम्र या अशक्तता के आधार पर विभेदन करना हर्षित निषेध है। अशक्त लोगों को, जिन्हें कार्यक्रम सूचना संचार हेतु अन्य माध्यम की आवश्यकता हो (जैसे कि ब्रेल, बड़े अक्षरों की लिपि, आडियोटेप आदि) उन्हें USDA के टारगेट केन्द्र से (202) 720-2600 (ध्वनि तथा टी.डी.डी) सम्पर्क करना चाहिये।

विभेदन आधारित शिकायत दर्ज करने के लिए निम्न से सम्पर्क करें: USDA, Director, Office of Civil Rights, Room 326-W, Whitten Building, 14th and Independence Avenue, S.W., Washington D.C. 20250-9410 या (202) 720-5964 (ध्वनि तथा टी.डी.डी) पर सम्पर्क करें। यू.एस.डी.ए. एकसमान मौके का प्रदायक और नियोजक है।